समूह । अनुमोदनार्थ मदें

ई सी : 08:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित कहा जाना

कार्यवृत्त

8.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित बतलाया।

ई सी : 08:02	निधन सूचना

कार्यसूची टिप्पणी:

8.02.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ लाई गई:

1. *श्रीमती रोजाबेल नाम्चु, पालजोर नामग्याल गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्राचार्या एवं निदेशक मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार*
2. *श्री के.बी छेत्री, पूर्व अध्यक्ष, सिक्किम लोक सेवा आयोग एवं पूर्व प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ।*

कार्यवृत्त

8.02.1 सदन रिपोर्ट किए गए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निधन पर विचार किया, तथा मृत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में 2 मिनट का मौन धारण किया।

ई सी : 08:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

8.03.1 उपकुलपति ने सदन के समक्ष कार्यकारी परिषद की दिनांक 3 नवम्बर 2010 को आयोजित पिछली बैठक के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को दर्शाते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया।

8.03.2 प्रो0 आनंद कृष्णन ने प्रस्तुतीकरण को अत्यधिक प्रभावशाली बताते हुए उपकुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए बधाई दी ।

8.03.3 प्रोफेसर सूर्यवंशी ने उल्लेख किया कि, जबकि वर्ष 2011-12 नामांकनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए अधिक केंद्र प्रस्तावित किया जाना, प्रशंसनीय है फिर भी इसे विचार करना चाहिए की लागत दृष्टि से क्या भारत के अंतर्गत केंद्रों की संख्या सीमित की जा सकती है । प्रोफेसर मधुर स्वामीनाथन ने भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए केंद्रों की संख्या पर इसके वित्तीय पक्ष पर विचार करते हुए पुनर्विचार करना चाहिए । श्री बेजबरुआ ने कहा कि प्रवेश परीक्षा हेतु विस्तृत विज्ञापन के स्थान पर क्यों नहीं विश्वविद्यालय समाचार पत्रों में से एक छोटा विज्ञापन दें, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो की विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है । अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि भारत के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा संचालित करने में विश्वविद्यालय का खर्च बहुत ही अल्पतम होता है, क्योंकि यह सभी केंद्रीय विद्यालयों में संचालित की जाती है तथा प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा संचालन के लिए विश्वविद्यालय से सिर्फ एक संकाय सदस्य भेजे जाते हैं । इसी समय उन्होंने उल्लेख किया कि अधिक व्यय प्रेस विज्ञापनों के प्रति किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक दैनिक द्वारा प्रभारित विज्ञापन की लागत निषेधक होता है । यद्यपि इस प्रकार के विज्ञापन लागतों से विश्वविद्यालय की स्थापना के आरंभिक वर्षों में बचा नहीं जा सकता है । अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि अगले 2 से 3 वर्षों की अवधि में इस स्थिति की सर्वांगीण समीक्षा की जाएगी ।

8.03.4 प्रोफेसर सूर्यवंशी का कथन था कि सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के नाम समानार्थी हैं । साथ ही सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय एक निजी संस्था है, अतः सिक्किम विश्वविद्यालय को सुनिश्चित करना चाहिए की सामान्य नागरिक के मन में कोई द्वविधा नहीं हो कि सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय एवं सिक्किम विश्वविद्यालय एक ही एवं समान है । इसी प्रकार का मुद्दा प्रोफेसर मधुर स्वामीनाथन ने भी विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय नामक एक निजी विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष में उठाया, जो की साधारण नागरिकों के मन में सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ भ्रम पैदा कर सकता है । अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि सिक्किम में सिक्किम विश्वविद्यालय सहित सात अन्य विश्व विद्यालय संचालन में है। इस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ पूर्व में ही विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय के समान अर्थी नाम के संबंध में मामला उठाया है ,जिसके बारे में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । यद्यपि अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं को ध्यान में रखा जाए तथा भारत सरकार के समक्ष उचित रूप से उठाया जाएगा ।

8.03.5 प्रोफेसर सूर्यवंशी ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकीकृत पाठ्यक्रम एवं पी जी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टरों की संख्या के साथ ही यह जानना चाहा कि क्या कोई छात्र एकीकृत पाठ्यक्रम में यूजी कोर्स की समाप्ति के बाद मात्र यूजी डिग्री पाने के योग्य होगा । अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस पहलू पर पाठ्यक्रम के प्रकल्पण के दौरान ही विधिवत ध्यान दिया गया था, कि कोई छात्र जो एकीकृत पाठ्यक्रम में सिर्फ यूजी अंश को पूरा करता है, उनके द्वारा समाप्त किए उस अंश के लिए डिग्री प्रदान किए जाने हेतु योग्य होगा। उन्होंने इन कार्यक्रमों में पार्श्विक प्रविष्टि के बारे में भी जानकारी दिया ।

8.03.6 प्रोफेसर सूर्यवंशी ने जानना चाहा कि छात्रगण द्वारा भ्रमण किए गए क्षेत्र भ्रमण से वे कितने संतुष्ट हैं । इस पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि छात्र से सामान्य फीडबैक स्वीकारात्मक है तथा विश्वविद्यालय छात्रों के फीडबैक सभी क्षेत्र भ्रमण दलों के पास वापस गंगटोक लौट जाने पर अभिलेखित करेगा ।

8.03.7 माननीय सदस्य प्रोफेसर सूर्यवंशी ने उपकुलपति से रजिस्ट्रार के पद को यथाशीघ्र भरे जाने का अनुरोध किया । अध्यक्ष ने शेष कार्यकाल हेतु रजिस्ट्रार के पद को भरे जाने की कार्यालयी औपचारिकताओं के कारण विश्वविद्यालय द्वारा उठाई गई कठिनाइयों के बारे में विस्तृत रुप से स्पष्ट किया ।

8.03.8 प्रोफेसर सूर्यवंशी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि यांग्यांग में भूमि के गैर आवंटन के कारण विश्वविद्यालय की सभी विकास गतिविधियां ठप्प हैं। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस मद पर बैठक के अंतिम भाग में चर्चा किया जाना है, जहां पर माननीय सदस्य की चिंताओं को दूर किया जाएगा।

8.03.9 प्रोफेसर शिवराज सिंह ने सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को भूमि सौंपे जाने में वास्तविक समस्या के बारे में जानना चाहा । इसी प्रकार का प्रश्न प्रोफेसर मृणाल मिरी द्वारा उठाया गया। माननीय सदस्यों ने श्री एस के प्रधान, सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि से जानना चाहा कि यह मामला किस स्थिति में है । श्री एस के प्रधान ने उत्तर दिया कि सिक्किम सरकार विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र भूमि सौंपे जाने को इच्छुक है, परंतु इसमें कुछ मुद्दे हैं । इस बिंदु पर अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया तथा उल्लेख किया कि अब तक विश्वविद्यालय को सिक्किम सरकार से भूमि सौंपे जाने के विषय पर चार पत्र प्राप्त हो चुके हैं । जब जून 2010 में विश्वविद्यालय दल द्वारा भूमि का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि भूस्वामियों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है, फिर भी उनमे से किसी को भी भूमि खाली करने के लिए सिक्किम सरकार द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया है । जब तक खाली करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया जाता है, भूस्वामी भी खाली करने को इच्छुक नहीं है । अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर बैठक के अंत में पुनः चर्चा की जा सकती है ।

8.03.10 प्रोफेसर सूर्यवंशी ने यांग्यांग में यथाशीघ्र भूमि आवंटित करवाए जाने के लिए चार बिंदु कार्यक्रम का एक सुझाव दिया, अर्थात -

1. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यांग्यांग स्थित विश्वविद्यालय स्थल के शिलान्यास हेतु अनुरोध करना ।
2. सदन के सदस्यों द्वारा मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के माननीय मंत्री के प्रति एक विस्तृत ज्ञापन उनके द्वारा इस विषय में हस्तक्षेप हेतु तैयार करना ।
3. कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ भूमि के शीघ्र आवंटन हेतु उनके द्वारा हस्तक्षेप के लिए बैठक आयोजित करना ।

4. उपकुलपति की सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ स्थिति को स्पष्ट करने तथा भूमि के शीघ्र आवंटन करवाने के लिए एक अलग से बैठक करना

8.03.11 लंबी चर्चा के उपरांत, सदन ने क्रम संख्या 1 एवं 2 पर उल्लेखित कार्य योजना के कार्यान्वयन के किए जाने की इच्छा व्यक्त की।

ई सी : 08:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 03.11.2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

8.04.1 दिनांक 03.11.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की जो कि कार्यसूची मद के ई.सी VIII – 01 के साथ संलग्न है, सदन ने पुष्टि की ।

ई सी : 08:05	दिनांक 03.11.2010 को आयोजित कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

8.05.1 कार्यकारी परिषद की दिनांक 03.11.2010 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, जो कि कार्यसूची मद के अनुलग्नक ई सी VIII - 02 पर संलग्न है, सदन ने पुष्टि कर ली ।

ई सी : 08:06	महाविद्यालयों के संबद्धन पर अध्यादेश

कार्यवृत्त

8.06.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विचार किया तथा निम्नलिखित अध्यादेशों का विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन किया:

क्र. सं0	अध्यादेश का नाम
1.	विज्ञान महाविद्यालयों के संबद्धन हेतु अध्यादेश
2.	कला महाविद्यालयों के संबद्धन हेतु अध्यादेश
3.	शिक्षण शिक्षण महाविद्यालयों के संबद्धन हेतु अध्यादेश
4.	फार्मेसी महाविद्यालयों के संबद्धन हेतु अध्यादेश
5.	ईंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों के संबद्धन हेतु अध्यादेश
6.	विधि महाविद्यालयों के संबद्धन हेतु अध्यादेश

7.	मानदंड एवं पद्धतियों पर अध्यादेश

8.06.3 **यह सुझाव दिया गया कि कथित अध्यादेशों को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी पद्धतियों को पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित संस्थानों के सूचनार्थ डाला जाए ।**

ई सी : 08:07	परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति संशोधन

कार्यवृत्त

8.07.1 सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा किए गए उस सुझाव पर चर्चा की कि परीक्षा पर अध्यादेश के प्रति प्रस्तावित संशोधन सिर्फ शरद 2010 परीक्षा हेतु ही प्रचालित किया जाए । सदन ने उस पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहा, जिस पर शैक्षणिक परिषद द्वारा यह सुझाव दिया गया था। प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी एवं तीसरी मूल्यांकन विधियों के संबंध में अनुसरण की जा रही पद्धति से संतुष्ट है, एवं इसमें वर्तमान में कोई प्रमुख विचलन नहीं करना चाहता है । इस कारण के परिप्रेक्ष्य में इसने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय प्रस्तावित संशोधन के साथ सिर्फ एक सेमेस्टर हेतु प्रयोग कर सकता है, यदि परिणाम अच्छा हुआ तो इसका विस्तार क्रमिक सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए भी किया जा सकता है । इस विषय को अध्यक्ष द्वारा आगे विस्तार से स्पष्ट किया गया।

8.07.2 उपरोक्त स्पष्टीकरण के बाद सदन शैक्षणिक परिषद द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत हुआ तथा अनुमोदन किया कि प्रस्तावित संशोधन सिर्फ शरद सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रचालित किया जाएगा । यद्यपि सदन ने विश्वविद्यालय को प्रस्तावित योजना का पूर्व की योजना के साथ तुलना करने तथा क्रमिक सेमेस्टर परीक्षाओं में इसकी निरंतरता अथवा परिसमाप्ति हेतु एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

ई सी : 08:08	शैक्षणिक वर्ष 2011-12 हेतु नए पाठ्यक्रम

कार्यवृत्त

6.08.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया तथा आगामी शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने का अनुमोदन किया:

क्र. सं0	स्कूल का नाम	विभाग का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम	शास्त्र
1.	आयोजना, आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरी स्कूल	अर्थ साइन्स विभाग	बी एस सी - एम एस सी एकीकृत	भूगर्भशास्त्र
2.	प्रबंधन एवं वाणिज्य स्कूल	प्रबंधन एवं	बी बी ए- एम बी	व्यवसायिक

		वाणिज्य विभाग	ए	
3.	कंप्यूटर विज्ञान स्कूल	कंप्यूटर विज्ञान विभाग	बी सी ए - एम सी ए एकीकृत	कंप्यूटर एप्लीकेशन
4.	देशज एवं लोकसंगीत स्कूल	संगीत विभाग	बी संगीत एवं एम संगीत एकीकृत	संगीत
		इथ्नो बॉटनी एवं सोशल मेडिसिन अध्ययन	एम एस सी	इथ्नो बॉटनी
5.	भाषा विज्ञान एवं भाषाएं स्कूल	एशियाई भाषाएं विभाग	एम ए	नेपाली भाषा
6.	भौतिक एवं रसायन विज्ञान स्कूल (2010-11 में आरंभ)	भौतिक विज्ञान विभाग	एम फिल/पी एच डी	भौतिकी

ई सी : 08:09	ऑनोरिस काउसा प्रदान किया जाना ।

कार्यवृत्त

8.09.1 सदन ने विस्तृत विमर्श के साथ प्राथमिक सांविधि 27 के प्रति प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया तथा निम्नलिखित तरीके से संशोधन का अनुमोदन किया:

वर्तमान उपबंध	संशोधन पश्चात उपबंध
सांविधि 27	सांविधि 27
1. कार्यकारी परिषद शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर तथा उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किसी प्रस्ताव द्वारा एवं वोटिंग द्वारा मानद उपाधि प्रदान किए जाने के लिए विजिटर के प्रति प्रस्ताव पारित कर सकता है।	1. कार्यकारी परिषद शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं पर तथा उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किसी प्रस्ताव द्वारा एवम वोटिंग द्वारा मानव उपाधि प्रदान किए जाने के लिए विजिटर के प्रति प्रस्ताव पारित कर सकता है **बशर्ते कि ऐसी मानद उपाधियां उन व्यक्तियों को प्रदान की जाएंगी, जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवदान किया है ।**

बशर्ते कि आप अधिक मामले में कार्यकारी परिषद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर ऐसा प्रस्तावित कर सकता है	बशर्ते कि आपातिक मामले में, कार्यकारी परिषद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर ऐसा प्रस्तावित कर सकता है
2. कार्यकारी परिषद, वर्तमान सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किसी संकल्प एवं वोटिंग द्वारा विजिटर की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकता है	2. कार्यकारी परिषद वर्तमान सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किसी संकल्प एवं वोटिंग द्वारा विजिटर की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकता है

8.09.2 सदन ने अध्यक्ष को प्राथमिक संविधि के प्रति प्रस्तावित संशोधन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रति विजिटर की सहमति प्राप्त करने के लिए प्रेषित करने को प्राधिकृत किया।

8.09.3 तत्पश्चात, सदन ने शैक्षणिक परिषद द्वारा इनकी दिनांक 27 नवंबर 2010 को आयोजित बैठक की डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री के प्रति ऑनोरिस काउसा के प्रदान किए जाने पर अनुशंसा पर विचार किया, जिनके कि अगले कुछ महीने के अंतराल में सिक्किम विश्वविद्यालय में भ्रमण पर आने की संभावना है।

8.09.4 विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात सदन ने उपरोक्त पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिनका की कार्यकारी परिषद के 11 में से 9 सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया । सदन ने उपकुलपति को इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रति विजिटर की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेषित करने का निर्देश दिया ।

ई सी : 08:10	लिंग संवेदनशीलता यूनिट हेतु मानदंड एवं पद्धति

कार्यवृत्त

8.10.1 सदन ने लिंग संवेदनशीलता यूनिट हेतु मानदंड एवं पद्धति का विनियमावली के रूप में अनुमोदन किया, जैसा की कार्यसूची के साथ अनुलग्नक ई सी VIII -05 के तौर पर इन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

8.10.2 सदन ने उस ब्यौरेवार एवं विस्तृत तरीके के लिए भी अपनी प्रशंसा दर्ज की, जिससे लिंग संवेदनशीलता इकाई द्वारा दी नियमावली का मसौदा तैयार किया गया था।

ई सी : 08:11	नई पेंशन योजना लागू करना

कार्यवृत्त

8.11.1 सदन ने कार्यसूची मद पर तथा भारत सरकार द्वारा यथा निर्मित एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किए जाने योग्य नई पेंशन योजना के मानदंडों पर विचार किया, जो की कार्यसूची के साथ अनुलग्नक ई सी - VIII 06 के रूप में संलग्न था। इसका विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया।

ई सी : 08:12	अध्ययन के नए पाठ्यक्रम एवं वर्तमान पाठ्य चर्चाओं की संवीक्षा हेतु पाठ्यचर्या विकास समितियों का गठन

कार्यवृत्त

8.12.1 सदन ने अध्ययन के नए पाठ्यक्रम एवं वर्तमान पाठ्य चर्चाओं की संवीक्षा हेतु पाठ्यचर्या विकास समितियों का गठन, साथ ही उन समितियों द्वारा नए विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए योजनाएं एवं प्राक्कलनों के निर्माण का भार सौंपे जाने का सैद्धांतिक रुप से अनुमोदन किया। माननीय सदस्य गण ऐसी समितियों के गठन हेतु उपकुलपति को विशेषज्ञों के उपयुक्त नाम सुलझाने के लिए सहमत हुए।

ई सी : 08:13	सांविधिक अधिकारियों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं सेवा शर्तों पर अध्यादेश

कार्यवृत्त

8.13.1 सदन ने निम्नलिखित सांविधिक अधिकारियों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं सेवा शर्तों पर निम्नांकित अध्यादेशों पर विचार किया:

क्र0 सं0	अध्यादेश का नाम	कार्यसूची के प्रति अनुलग्नक संदर्भ
1.	रजिस्ट्रार के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं सेवा शर्तों पर अध्यादेश	(अनुलग्नक ई सी VIII – 07)
2.	वित्त अधिकारी के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं सेवा शर्तों पर अध्यादेश	(अनुलग्नक ई सी VIII – 08)
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं सेवा शर्तों पर अध्यादेश	(अनुलग्नक ई सी VIII – 09)

8.13.2 सदन ने सुझाव दिया कि इन्हें इस आधार पर अध्यादेश की अपेक्षा विनियमावली कहा जाना चाहिए, कि यह विस्तृत रुप से कर्तव्यों, उत्तरदायित्व आदि को वर्णित करता है ।

8.13.2 उपरोक्त सुझावों के साथ सदन ने इन के समक्ष प्रस्तुत सांविधिक अधिकारियों के कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं सेवा शर्तों पर विनियमावली का अनुमोदन किया।

ई सी : 08:14	परिशोधित प्राक्कलन 2010-11 एवं बजट प्राक्कलन 2011-12

कार्यवृत्त

8.14.1 सदन ने इन के समक्ष कार्यसूची मद के अनुलग्नक अनुलग्नक ई सी VIII – 10 के रुप में प्रस्तुत वर्ष 2010-11 हेतु परिशोधित प्राक्कलन एवं वर्ष 2011-12 हेतु बजट प्राक्कलन पर विचार किया ।

8.14.2 प्रोफेसर आनंद कृष्णन ने यह जानना चाहा कि परिशोधित प्राक्कलन अगले वर्ष के बजट प्राक्कलन से अधिक क्यों है। इस पर प्रभारी सचिव ने उत्तर दिया कि यह इस कारण है कि परिशोधित प्राक्कलन के अंतर्गत गंगटोक स्थित भूमि प्रापण के प्रति रूपये 10 करोड़ की राशि सम्मिलित की गई है, एवं ऐसा कोई आंकड़ा अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन के अंतर्गत नहीं था । गंगटोक भूमि हेतु रुपये 10 करोड़ का प्राक्कलन एक बार की आवश्यकता है, तथा भविष्य में पुनरावृति नहीं होगी, अतः परिशोधित प्राक्कलन अधिक है ।

8.14.3 उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, सदन ने परिशोधित प्राक्कलन 2010-11 एवं बजट प्राक्कलन 2011- 12 का अनुमोदन किया ।

ई सी : 08:15	छुट्टी नियमावली पर अध्यादेश (शिक्षण/शैक्षणिक /गैर शिक्षण कर्मचारीगण)

कार्यवृत्त

8.15.1 अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वे इस मद को इस आशय से अगली बैठक के लिए विलंबित करना चाहते हैं कि उन्होंने इस मसौदे में कुछ विसंगतियां देखी है । उन्होंने सदन को स्पष्ट किया की कथित नियमावली का मसौदा इस उद्देश्य से गठित एक समिति द्वारा की गई है, जिससे वास्तव में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आदि सदृश प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसरण की जा रही छुट्टी नियमावली पर विचार किया है, फिर भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है ।

8.15.2 प्रोफेसर मधुर स्वामीनाथन ने सुझाव दिया कि हमारा विश्वविद्यालय हैदराबाद विश्वविद्यालय की छुट्टी नियमावली को देख सकता है, जो कि अधिक स्पष्ट एवं बोद्धगम्य है प्रोफेसर गौतम बरूआ ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय आई आई टी , गुवाहाटी की छुट्टी नियमावली को भी देख सकता है ।

8.15.3 अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि माननीय सदस्यों के सुझाव पर विधिवत विचार किया जाएगा ।

8.15.4 उपरोक्त प्रश्नों के साथ कार्य सूची मध्य को चर्चा से विलंबित किया गया

ई सी : 08:16	गैर शिक्षण कर्मचारियों (सांविधिक अधिकारियों के इतर) हेतु लीजकृत आवास को किराए पर लेना।

कार्यवृत्त

8.16.1 सदन ने कार्यसूची मद साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अवदानों के समूह पर विस्तार से विचार किया ।

8.16.2 तदनुसार, सदन ने विश्वविद्यालय गैर शिक्षण कर्मचारियों द्वारा रेंटल आवास के किराए के प्रति निम्नलिखित विश्वविद्यालय अवदान बैंड का अनुमोदन किया:

कैडर	ग्रेड पे	प्लींथ एरिया हकदारीहकदारी (वर्ग फीट में)	एच आर ए देय (₹ में)	लाइसेंस फी प्रभार योग्य	विश्वविद्यालय द्वारा अवदान का बैंड (₹ में)
प्रबंधक (उप रजिस्ट्रार)	**7600**	**1140**	**2950**	**526**	**₹ 4000 तक**
उपप्रबंधक (सहायक रजिस्ट्रार)	**5400**	**807**	**2100**	**297**	**₹ 3000 तक**
कार्यकारी एवं वरि0 कार्यकारी (सहायक एवं अनुभाग अधिकारी)	**4200**	**592**	**1350**	**219**	**₹ 2500 तक**
कनि. कार्यकारी एवं सहायक कार्यकारी (प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक	**2400/1900**	**431**	**991/773**	**144**	**₹ 1000 तक**

8.16.3 आगे निर्णय लिया गया कि जब तक विश्वविद्यालय द्वारा आवासीय सुविधाओं का पूर्णरूपेण निर्माण नहीं कर लिया जाता है, गैर शिक्षण कर्मचारियों को उपरोक्त सारणी में उल्लेखित सीमा तक किराया सहायता दी जाएगी ।

ई सी : 08:17	नवभर्तियों (नियमित) की स्थानांतरण टी ए हकदारी-शिक्षण /गैर शिक्षण/ शैक्षणिक

कार्यवृत्त

8.17.1 सदन ने नवभर्तियों (शिक्षण/ शैक्षणिक) के लिए स्थानांतरण टी ए के प्रति सहायता उपलब्ध कराए जाने के कार्यसूची मद पर विचार किया तथा नीचे दिए गए सारणी के अनुसार प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

स्थानांतरित पद में धारित कैडर	समेकित स्थानांतरण अनुदान	वैयक्तिक सामानों के स्थानांतरण हेतु हकदारी	सड़क मार्ग से प्रति कि.मी. यात्रा दर
प्रबंधक (उप रजिस्ट्रार)	एक माह के बैंड पे एवं ग्रेड पे के समतुल्य	गुड्स ट्रेन द्वारा 6000 कि.ग्रा. अथवा चार चक्का बैगन अथवा एक डबल कंटेनर	₹ 18.00
उप प्रबंधक (सहायक रजिस्ट्रार)	-वही-	गुड्स ट्रेन द्वारा 6000 कि.ग्रा. अथवा चार चक्का बैगन अथवा एक सिंगल कंटेनर	₹ 18.00
कार्यकारी एवं वरि0 कार्यकारी (सहायक एवं अनु. अधिकारी)	-वही-	गुड्स ट्रेन द्वारा 6000 कि.ग्रा. अथवा चार चक्का बैगन अथवा एक सिंगल कंटेनर	₹ 18.00
कनिष्ठ कार्यकारी एवं सहायक कार्यकारी (प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक)	-वही-	1500 कि. ग्राम	₹ 04.60

8.17.2 सदन ने आगे निर्णय लिया कि ऐसी सहायता विश्वविद्यालय द्वारा भारत के अंतर्गत वैयक्तिक सामानों के स्थानांतरण के संबंध में ही दी जाएगी ।

ई सी : 08:18	नियमित कर्मचारियों के लिए टीए/एलटीसी एवं कार्यभार ग्रहण काल नियमावली - शिक्षण/ गैर शिक्षण /नियमित अंगीकृत किया जाना ।

कार्यवृत्त

8.18.1 सदन ने भारत सरकार की निम्नलिखित नियमावली अपने नियमित कर्मचारियों - शिक्षण एवं गैर शिक्षण के अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया:

1. सी सी एस (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 (कार्यसूची का अनुलग्नक ई सी VIII - 12)
2. सी सी एस (कार्यभार ग्रहण काल) नियमावली, 1979 (कार्यसूची का अनुलग्नक ई सी VIII - 13)
3. एफ आर एवं एस आर (भाग - 2) यात्रा यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 (कार्यसूची का अनुलग्नक ई सी VIII - 14)

ई सी : 08:19	सिक्किम विश्वविद्यालय की भवन अनुरक्षण नियमावली

कार्यवृत्त

8.19.1 सदन ने इनके समक्ष कार्यसूची मद के अनुलग्नक ई सी VIII - 19 के रूप में प्रस्तुत भवन अनुरक्षण नियमावली का अनुमोदन किया ।

ई सी : 08:20	यांग्यांग स्थित कैंपस विकास बोर्ड (बी सी डी वाई) का गठन

कार्यवृत्त

8.20.1 सदन ने इन के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विचार किया तथा यांग्यांग स्थित कैंपस विकास बोर्ड (बी सी डी वाई) के गठन का अनुमोदन किया । प्रोफेसर मृणाल मिरी ने सुझाव दिया कि बोर्ड को वर्ष में कम से कम तीन बैठक करना चाहिए, ताकि विकास कार्य को क्रमिक बनाया जा सके । अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से समिति के प्रति विशेषज्ञों के उपयुक्त नाम सुझाने का अनुरोध किया, जिस पर सदस्यगण मेल द्वारा अपना सुझाव भिजवाने के लिए सहमत हुए। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय अगले 1 महीने में बोर्ड का गठन करना चाहता है , ताकि सभी प्रमुख आयोजना गतिविधियां आरंभ की जा सके । अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि कुलपति द्वारा भी कैंपस को ग्रीन एवं पूर्णरूपेण इकोफ्रेंडली बनाने के लिए कुछ योजनाएं भिजवाई गई है ।

8.20.2 उपरोक्त प्रेक्षणों के साथ सदन बी सी डी वाई के गठन के प्रति सहमति व्यक्त की।

ई सी : 08:21	सरकारी महाविद्यालयों के परामर्श दाई समितियों के प्रति विश्वविद्यालय नॉमिनी

कार्यवृत्त

8.21.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया । सदन ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय सरकारी महाविद्यालयों की परामर्श समितियों के गठन पर अध्यादेश निर्माण की प्रक्रिया में है । अध्यादेश के अंतिम रुप लंबित रहने तक , सदन ने नोट किया की परामर्शदायी समिति के प्रति सदस्यों को नामित किया जाना वांछित होगा, ताकि ये समितियां प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें ।

8.21.2 तदनुसार, सदस्य ने विश्वविद्यालय के निम्नलिखित सहायक प्रोफेसरों को सिक्किम राज्य के सरकारी महाविद्यालयों की परामर्शदायी समिति के प्रति सदस्य के रूप में नामित किए जाने का अनुमोदन किया।

क्र सं0	महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित नॉमिनी
1.	सिक्किम सरकारी कॉलजे, तादोंग, गंगटोक	डा0 बिमला सिंह डा0 दिनबंधु दास
2.	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक, गंगटोक	डा0 मीता पोद्दार डा0 वीर मयंक
3.	नाम्ची सरकारी कॉलेज, कामरंग, नाम्ची	डा0 नगेंद्र ठाकुर डा0 बिनु सुन्दास
4.	सरकारी कॉलेज रेनोक, रेनोक	डा0 एन सेबास्टियन डा0 अजय त्रिपाठी

5.	सिक्किम सरकार बी एड कॉलेज, सोरेंग	डा0 सुबीर मुखोपाध्याय श्री वी इल्लामपरिथी

ई सी : 08:22	निजी महाविद्यालयों के शासकीय निकायों के प्रति विश्वविद्यालय नॉमिनी ।

कार्यवृत्त

8.22.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा सदन ने यह नोट भी किया कि विश्वविद्यालय सरकारी महाविद्यालयों के शासकीय निकायों के गठन पर अध्यादेश निर्माण के प्रक्रियाधीन है। अध्यादेश का अंतिम रुप लंबित रहने तक, सदन ने नोट किया की शासकीय निकायों के प्रति सदस्यों को नामित किया जाना वांछित होगा, ताकि ये निकाय प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

6.22.2 तदनुसार, सदन ने विश्वविद्यालय के निम्नलिखित सहायक प्रोफेसरों को सिक्किम राज्य के निजी महाविद्यालयों के शासकीय निकायों के प्रति सदस्यों के रूप में नामित किए जाने का अनुमोदन किया ।

क्र सं0	महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित नॉमिनी
1.	डंबर सिंह कॉलेज, 6ठा माइल, तादोंग, गंगटोक	डा0 स्वाती सचदेवा डा0 देवाशिष मंडल
2.	हर्कमाया कॉलेज ऑफ एड्युकेशनल, 6ठा माइल, तादोंग, गंगटोक	सुश्री सांग्मु थेन्डप डा0 रफिउल अहमद
3.	पाकिम पैलेटाइन कॉलेज	डा0 अर्चना तिवारी डा0 बी एम तामंग
4.	हिमालियन फार्मेशी इंस्टीच्यूट, माझीटार	डा0 मंजु राणा डा0 हेमाम दिनेश सिंह
5.	लॉयला कॉलेज ऑफ एड्युकेशन, नाम्ची	डा0 उत्तम लाल डा0 टेइबोर्लांग टी. के.

ई सी : 08:23	नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण

कार्यवृत्त

8.23.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तार से विचार किया । प्रभारी सचिव ने सदन को स्पष्ट किया कि प्रत्येक कैडर के प्रति प्रस्तावित वेतन निर्धारण भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुसार किया गया है । उन्होंने स्पष्ट किया की कार्यसूची

में उल्लेखित मामलों में प्रस्तावित निर्धारण की परिशुद्धता के संबंध में महालेखाकार के कार्यालय के साथ विचार विमर्श किया गया है तथा यह कहा गया कि यह सही है।

8.23.2 सदन का मत था कि इनके लिए यह संभव नहीं होगा कि प्रत्येक मामले में वेतन निर्धारण का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जा सके, और यदि यह विश्वविद्यालय द्वारा उल्लेख किया जाता है कि यह अपने कार्मिकों के वेतन निर्धारण हेतु इस विषय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों का अनुसरण करेगा, तो इनके लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा ।

8.23.3 तदनुसार यह स्पष्ट किया गया की कार्यसूची में प्रस्तावित वेतन निर्धारण के सभी मामले में भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों का विधिवत अनुसरण किया गया है।

समूह - II संपुष्टि हेतु रिपोर्ट की गई मदें

ई सी : 08:24	वेतन का परिशोधन/नई नियुक्तियां 03.11.2010 से 27.12.2010

कार्यवृत्त

1. नई नियुक्तियां - गैर शिक्षण (नियमित)

8.24.1 निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्तियों की संपुष्टि की गई, जिन्होंने दिनांक 03.11.2010 को आयोजित बैठक के बाद विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	विश्वविद्यालय पदनाम	पारम्परिक पदनाम	स्थिति	कार्यभार ग्रहण की तारीख
1.	डा0 सुरेश गुरूंग	प्रबंधक	उपरजिस्ट्रार	समूह क	15.11.2010
2.	श्री चंदन तालुकदार	प्रबंधक	उपरजिस्ट्रार	समूह क	29.11.2010
3.	कु. ग्रेस डी चान्कपा	उपप्रबंधक	सहा. रजिस्ट्रार	समूह क	10.11.2010
4.	श्री त्रिपुरारी सिन्हा	उपप्रबंधक	सहा. रजिस्ट्रार	समूह क	22.11.2010
5.	श्री सी बी छेत्री	उपप्रबंधक	सहा. रजिस्ट्रार	समूह क	12.11.2010
6.	श्रीमती संगीता एम रसैली	वरि. कार्यकारी	अनु. अधिकारी	समूह ख	11.11.2010
7.	श्री पंकज क्षेत्री	वरि. कार्यकारी	अनु. अधिकारी	समूह ख	20.12.2010
8.	श्री सत्यम राणा	कार्यकारी	सहायक	समूह ग	11.11.2010
9.	कु. कल्पना दहाल	कार्यकारी	सहायक	समूह ग	10.11.2010
10.	डा0 कमल सुब्बा	सहा. कार्यकारी	यू डी सी	समूह ग	12.11.2010
11.	श्री विवेक मोक्तान	सहा. कार्यकारी	यू डी सी	समूह ग	08.12.2010
12.	कु. प्रभा मुखिया	कनि.कार्यकारी	एल डी सी	समूह ग	18.11.2010
13.	श्रीमती तेन्जिंग सी भुटिया	कनि.कार्यकारी	एल डी सी	समूह ग	22.11.2010
14.	श्री अरूण धावा	कनि.कार्यकारी	एल डी सी	समूह ग	22.11.2010
15.	श्री गगन सेन छेत्री	कनि.कार्यकारी	एल डी सी	समूह ग	11.11.2010

2. नई नियुक्तियां - शिक्षण (संविदाजन्य)

8.24.2 सदन ने कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक, अर्थात 03.11.2010 के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा की गई निम्नलिखित नियुक्तियों की संपुष्टि की :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वेतन	कार्यभार ग्रहण की तारीख	विभाग
1.	कु0 सांग्मु थेन्डुप	एसोसिएट फेला	40,040/-	18.11.2010	नीति अध्ययन
2.	डा0 विश्वजीत राय	एसोसिएट प्रोफेसर	40,040/-	15.11.2010	रसायन विज्ञान
3.	डा0 कोयल गुहा	एसोसिएट प्रोफेसर	40,040/-	15.11.2010	पत्रकारिता एवं जन संचार
4.	श्रीमती परविन्दर कौर	भाषा विशेषज्ञ	30,000/-	18.11.2010	विधि एवं विधिक विधिशास्त्र

3. नई नियुक्तियां - गैर शिक्षण (संविदाजन्य)

8.24.3 सदन ने कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक, अर्थात 03.11.2010 के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा की गई निम्नलिखित नियुक्तियों की संपुष्टि की :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वेतन	कार्यभार ग्रहण की तारीख	विभाग
1.	सुश्री रिंकु तामांग	सहा. कार्यकारी (पुस्तकालय)	15760/-	22.11.2010	पुस्तकालय
2.	सुश्री मंजु सुब्बा	कार्यालय सहायक (पुस्तकालय)	14973/-	22.11.2010	पुस्तकालय
3.	श्री फेंचो वांग्डी डुक्पा	कार्यालय सहायक (भंडार एवं सुरक्षा)	14973/-	19.11.2010	प्रशासन

8.24.4 सदन ने कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के बाद के निम्नलिखित कर्मचारियों के मामले में प्रत्येक के विरूद्ध उल्लेखित तारीख से लागू वेतनों के परिशोधन की संपुष्टि की:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वेतन	कार्यभार ग्रहण की तारीख	विभाग
1.	श्री मनोज राई	अंशकालिक कार्या. सहायता	1950/-	2450/-	01.08.2010
2.	टेक बहादुर प्रधान	वही	1950/-	2450/-	01.08.2010
3.	राजेश मंगर	वही	1950/-	2450/-	01.08.2010

ई सी : 08:25	परीक्षा नियंत्रण नियंत्रक के कार्य कार्यालय का पदत्याग - डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा

कार्यवृत्त

8.25.1 सदन ने डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा द्वारा , जिनकी नियुक्ति सिक्किम विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के रूप में (दिनांक 3 दिसंबर 2009 से प्रतिनियुक्ति) पर हुई थी तथा अपने मातृ संगठन नामत: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय में दिनांक 30 दिसंबर 2010 को प्रत्यावर्तित होने के कारण कार्यालय से पदत्याग को नोट किया ।

8.25.2 सदन ने डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय में अपने 13 महीने के कार्यालय में किए गए उल्लेखनीय अवदान, परीक्षा, नामांकन एवं प्रशासन सहित के लिए गहरी प्रशंसा अभिलिखित किया ।

ई सी : 08:26	वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखाएं

कार्यवृत्त

8.26.1 सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत कार्यकारी परिषद के अनुदेशकों के अनुरूप निर्मित वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के प्रिंटेड मसौदा पर विचार एवं नोट किया।

ई सी : 08:27	एशिया सम्मेलन (आई ए ए पी एस) के आयोजन पर इवेंट टिप्पणी

कार्यवृत्त

8.27.1 सदन ने गंगटोक में दिनांक 11 दिसंबर 2010 एवं 12 दिसंबर 2010 को आयोजित एशिया सम्मेलन पर इवेंट टिप्पणी पर विचार एवं नोट किया, साथ ही सम्मेलन की समाप्ति पर इनके द्वारा अंगीकृत गंगटोक घोषणा पर भी अभिलेख हेतु ध्यान दिया ।

ई सी : 08:28	नामांकन हेतु कार्रवाई योजना - 2011-12

कार्यवृत्त

8.28.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद, जिनमें दो नए केंद्र ढाका एवं म्यनमार में प्रस्तावित है, पर विचार किया एवं शैक्षणिक सत्र 2011-12 हेतु नामांकन के लिए कार्ययोजना को नोट किया ।

ई सी : 08:29	किराए पर लिए गए भवनों की स्थिति रिपोर्ट ।

8.29.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत निम्नलिखित सारणी पर विचार किया, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा किराए पर लिए गए भवनों का उल्लेख था तथा इसे इनके सूचनार्थ नोट किया :

क्र. सं.	भवन का नाम	भूस्वामी	सतह क्षे0 (वर्ग कि.मी.)	प्रति वर्ग फीट दर (₹)	मासिक किराया (₹)
1	शैक्षणिक भवन -I	शिवा कु. प्रधान	3156	8	25000
2	शैक्षणिक भवन -II	दयमन्ती शर्मा	7500	10	75000
3	लेखा खंड	दीपक छेत्री	5000	9	45000
5	राथुंग गंगा शैक्षणिक खंड	अनामिका बहनेत	6750	9	60500
6	नर्मदा पौहानरी शैक्षणिक खंड	जय श्री प्रधान	8355	10	83500
7	राप ज्योर कावेरी गर्ल्स होस्टल	हेमलता छेत्री	10983	10	109800
8	नर्सिंग झेलम मूल्यांकन खंड	प्रहलाद भक्ती शर्मा	4280	9	38500
9	कंचनजंघा प्रबंधन खंड	सिक्किम सरकार	11799	7	80900
10	विश्वविद्यालय अतिथि गृह 1, सिलीगुड़ी	श्रीमती उर्मिला लामा	778.14	10	7500
11	विश्वविद्यालय अतिथि गृह 2 सिलीगुड़ी	श्री ललित कुमार छेत्री	778.14	10	7500
12	ब्वाइज होस्टल एवं शैक्षणिक खंड	श्री के के प्रधान	16122	12	194900
13	न्यू लाइब्रेरी भवन	श्री एम के शर्मा	10168	10	104269
				कुल	832369

ई सी : 08:30	दिनांक 15.12.2010 तक की स्थितिनुसार स्वीकृत संख्या बल एवं पदधारियों की स्थिति

कार्यवृत्त

6.30.1 सदन ने कार्यसूची मद संख्या ई सी : 08:30 में यथा उल्लेखित दिनांक 15.12.2010 की स्थितिनुसार शिक्षण एवं गैर शिक्षण दोनों के स्वीकृत पदों की स्थिति तथा इसके विरूद्ध पदधारियों की स्थिति पर विचार किया, तथा इसे नोट किया।

ई सी : 08:31	सिक्किम विश्वविद्यालय का जर्नल

कार्यवृत्त

8.31.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया। सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा जर्नल प्रकाशित किए जाने का विचार का सामान्यत: स्वागत किया। प्रोफ़ेसर मधुर स्वामीनाथन ने सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जर्नल मात्र विश्वविद्यालय के प्रदर्शन हेतु ना हो। प्रोफेसर आनंद कृष्णन एवं प्रोफेसर मृणाल मिरी ने सुझाव दिया कि जर्नल को अधिकांशत: रचनात्मक होना चाहिए तथा मुख्यत: अनुसंधान अभीमुखित नए विचारों को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान करें।

8.31.2 अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि वे सदन के समक्ष प्रस्तावित जर्नल की विस्तृत रूपरेखा सदन की अगली बैठक में विचारार्थ, सुझाव एवं अनुमोदनार्थ रखेंगे ।

ई सी : 08:32	ड्यूटी आवंटन चार्ट

8.32.2 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर शिक्षण कर्मचारियों के प्रति एवं एक वैज्ञानिक रूप से प्रकल्पित ड्यूटी चार्ट प्रकाशित करने के लिए प्रयासों की सराहना की । सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को शिक्षण कार्मिक सदस्यों के लिए भी इस प्रकार का ड्यूटी आवंटन जारी करना चाहिए , ताकि उनके कार्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी एवं लेखादेय बनाया जा सके । अध्यक्ष सदन के सुझाव पर विचार करने के लिए सहमत हुए ।

ई सी : 08:33	कार्मिक सदस्यों के साथ पाक्षिक बैठक

कार्यवृत्त

8.33.1 सदन में कार्मिक सदस्यों के साथ पाक्षिक बैठक आयोजित किए जाने के प्रयास साथ ही कार्यसूची मद के साथ परिचालित इसके नमूना कार्यवृत्त पर भी विचार किया । सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा अपने दैनिक कार्य में आधुनिक प्रबंधन तकनीकियों को लागू किए जाने की प्रशंसा अभिलिखित किया ।

ई सी : 08:34	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।

कार्यवृत्त

8.34.1 सदन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के प्रति यांग्यांग स्थित विश्वविद्यालय हेतु भूमि को यथाशीघ्र प्राप्त करने में उनके हस्तक्षेप की आकांक्षा रखते हुए एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने पर विचार किया । तदनुसार, सदन ने एक संयुक्त ज्ञापन (अनुलग्नक ई सी VIII - ए) तैयार किया तथा अध्यक्ष को इसे माननीय मंत्री को प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया ।

8.34.2 यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यकारी परिषद की अगली बैठक गंगटोक में दिनांक 29 जनवरी 2011 को आयोजित की जाए ।

8.34.3 कोई अन्य मद नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई।

ह0
(पी वी रवि)
वित्त अधिकारी
प्रभारी सचिव, कार्यकारी परिषद